संख्या-7/2018/ 902 / 46-2-18-301 (10)/17

प्रेषक,

नरेश बहादुर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि.,
लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 26 अप्रैल, 2018

विषय- उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि. की चीनी मिल मोहिउद्दीनपुर की 3500 टी.सी.डी. मय कोजन प्लाण्ट पर संचालित किये जाने के सम्बन्ध में वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा शासकीय गारण्टी प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एस.एस.सी./परियोजना/मोहिउददीनपुर111/2 दिनांक 14.12.2017, पत्र सं.-एस.एस.सी./मोहि./सीसी लिमिट/323 दिनांक 30.03.2018 तथा पत्र संख्या-एस.एस.सी./मोहि./सीसी लिमिट/26 दिनांक 06.04.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि. की चीनी मिल मोहिउद्दीनपुर की 3500 टी.सी.डी. मय कोजन प्लाण्ट पर संचालित किये जाने के सम्बन्ध में इण्डियन बैंक, गोमतीनगर लखनऊ से रू.60.00 करोड़ (रूपए साठ करोड़ मात्र) की नकद साख सीमा के विरूद्ध शासकीय गारण्टी प्रदान की जाती है।

3- अतः अनुरोध है कि शासकीय गारण्टी हेतु विलेख तैयार कराकर तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें जिससे विलेख विधीक्षण/निष्पादन कराने के उपरान्त आपको उपलब्ध कराया जा सके।

भवदीय,

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

.....2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-7/2018/ 902 (1) /46-2-18-तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक (वित्त), उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इण्डियन बैंक, गोमतीनगर लखनऊ द्वारा स्वीकृत की जाने वाली नकद साख सीमा पर शासकीय गारण्टी दिए जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही करने के साथ-साथ शासकीय गारण्टी एवं काउन्टर गारण्टी के प्रारूप विधीक्षण हेतु निर्धारित शुल्क राजकोष में जमा कराते हुए उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- वित्त (व्यय) नियन्त्रण अनुभाग-6/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कमल किशोर गुप्त)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।